भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4785

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

सौभाग्य का कार्यान्वयन

4785. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली के गांवों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का सफल कार्यान्वयन करने में सफल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) सौभाग्य योजना के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सरकार प्रदत्त वितीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले सहित देश में अभी भी बिजली की सार्वभौमिक सुलभता से वंचित लोगों की संख्या का अनुमान लगाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, और

(ड) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ड) : भारत सरकार ने सभी घरों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को गति दी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आबाद गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। इसके बाद, सौभाग्य के दौरान, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों द्वारा बताया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

सौभाग्य स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय अनुदान **6330.32 करोड़** रुपये था। महाराष्ट्र सहित राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

वर्तमान में, भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों के विद्युतीकरण के कार्य शामिल हैं। अब तक, राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, 13,59,752 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 6,487 करोड़ रुपये की राशि के कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर और महाराष्ट्र के लिए ज़िला-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2025 तक 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-I

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या (डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छतीसगढ	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

***सौभाग्य योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-II

सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी धनराशि

क्रम सं.	राज्यों के नाम	जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	159.79
2	असम	718.34
3	बिहार	491.38
4	छत्तीसगढ	378.71
5	हरियाणा	8.46
6	हिमाचल प्रदेश	2.02
7	जम्मू एवं कश्मीर	45.57
8	झारखंड	284.31
9	कर्नाटक	48.03
10	केरल	66.34
11	लद्दाख	5.59
12	मध्य प्रदेश	553.64
13	महाराष्ट्र	217.98
14	मणिपुर	98.58
15	मेघालय	205.93
16	मिजोरम	41.2
17	नागालैंड	54.18
18	ओडिशा	322.68
19	पंजाब	0.71
20	राजस्थान	304.54
21	सिक्किम	1.9
22	तेलंगाना	16.77
23	त्रिपुरा	275.93
24	उत्तर प्रदेश	1814.62
25	उत्तराखंड	43.92
26	पश्चिम बंगाल	169.2
कुल		**6330.32**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण को मंजूरी

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत कुल घर
क.	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घर**			
1	राजस्थान	1,526.94	916.16	338,702
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	251,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853
8	जम्मू एवं कश्मीर	106.70	96.03	15,359
9	बिहार	238.86	143.32	35,467
10	असम	785.55	706.99	127,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
13	छत्तीसगढ	166.55	99.93	34,078
14	केरल	0.33	0.20	40
15	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196
	कुल (क)	**4,678.19**	**3,328.60**	**941,918**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**
ग.	**पीएम-जनमन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण**			
ग1	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967
2	बिहार	0.28	0.17	0
3	छत्तीसगढ	38.17	22.90	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	8,603
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316
	उप-योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**127,061**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया पीवीटीजी एचएच विद्युतीकरण****			

1	गुजरात	0	0	-
2	ओडिशा	0	0	-
3	पश्चिम बंगाल	0	0	-
	उप-योग (ग2)			
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516.15**	**328.31**	**127,061**
घ.	**डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिन्हित जनजातीय घरों का विद्युतीकरण**			
घ1	**स्वीकृत घर**			
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938
3	बिहार	61.40	36.84	7,117
4	छत्तीसगढ	218.44	131.06	39,579
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	13,824
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467
8	कर्नाटक	32.14	19.28	4,229
9	केरल	5.73	3.44	1,080
10	मध्य प्रदेश	284.94	170.97	55,795
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
15	उतार प्रदेश।	32.21	19.32	6,867
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207
	उप योग (घ1)	**1,217.91**	**772.77**	**279,122**
घ2	**स्वीकृत सार्वजनिक स्थान**			
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910
5	केरल	0.15	0.09	17
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650
7	राजस्थान	0.70	0.42	195
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19
	उप योग (घ2)	**18.63**	**11.92**	**4,203**
	कुल (घ=घ1+घ2)	**1,236.53**	**784.69**	**283,325**
ङ.	**पीएम-अजय के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811
2	झारखंड	6.14	3.68	1,782
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012
	कुल (ङ)	**16.45**	**9.87**	**4,611**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**6,486.67**	**4,486.87**	**1,359,752**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-IV

महाराष्ट्र में स्वीकृत घरों का विवरण

जिला	स्वीकृत घरों की संख्या
अहिल्यानगर	579
अहमदनगर	161
अकोला	103
अमरावती	13
बीड	262
भंडारा	2
बुलढाना	538
सी.संभाजीनगर	103
चंद्रपुर	508
धुले	411
गडचिरोली	495
गोंदिया	185
हिंगोली	818
जलगांव	384
जलना	78
लातूर	42
नांदेड़	372
नासिक	3,109
उस्मानाबाद	55
पालघर	1,879
परभनी	457
पुणे	1,035
रायगढ़	3,837
सतारा	50
सोलापुर	259
थाणे	615
वर्धा	16
वाशिम	211
यवतमाल	881
कोल्हापुर	6
सिंधुदुर्ग	65
कुल योग	**17,529**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-V

नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत मंजूरी दिया गया ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परिवारों की संख्या
(क)	आंध्र प्रदेश	1,675
(ख)	छत्तीसगढ	1,578
(ग)	झारखंड	2,342
(घ)	मध्य प्रदेश	2,060
(ङ)	कर्नाटक	179
(च)	केरल	98
(छ)	तेलंगाना	326
(ज)	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**

****